न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 02/2019

अपीलाण्ट्स — बनाम — रेस्पोडेन्ट्स

अपीलाण्ट्स

1. गिरिश कुमार पुत्र जांवतराम जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल 23, BaZullaj Road, Thiyagareya Nager, Chennai, TamilNadu, 600017

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मुकेश कुमार पुत्र जांवतराज भंडारी जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल 901, Kheshwala Co-Op HSG Society, Garden view Building 8, A K Mehta Road Opp. Shripal Nager Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra 400006
2. जगदीश कुमार पुत्र जांवतराम भंडारी जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल Sagar Kunj Chs. Ltd. 3rd Foor, Flat No. 14, Bldg No. 78 Nepean Sea Road, Opp. Regency Hotel, Malber Hill. Mumbai, Maharashtra 400006
3. जांवतराज पुत्र प्रतापमल भंडारी जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल 121, Pycrofts Roads Royapettah S.O., Chennai, TamilNadu, 600017
4. मंजुला पत्नी जगदीश कुमार भंडारी जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल Sagar Kunj Chs. Ltd. 3rd Foor, Flat No. 14, Bldg No. 78 Nepean Sea Road, Opp. Regency Hotel, Malber Hill. Mumbai, Maharashtra 400006
5. नरेश कुमार पुत्र जांवतराज भंडारी जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल Taravilla 7/1, New Palasia, Near Recovery Hospital, Indore, Madhya Pradesh, 452001
6. वमलादेवी पत्नी मुकेश कुमार भंडारी जाति ओसवाल निवासी सांचोर हाल 901, Kheshwala

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Co-Op HSG Society, Garden view Building 8, A K Mehta Road Opp. Shripal Nager Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra 400006

7. रेशमीदेवी पत्नी दिनेश कुमार भंडारी जाति ओसवाल
8. जितेन्द्र कुमार पुत्र दिनेश कुमार भंडारी जाति ओसवाल निवासीगण सांचौर हाल निवासी 4/19, Singaram Street, Thiyagareya Nager, Chennai, TamilNadu, 600017
9. भारती पुत्री दिनेश कुमार भंडारी जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल aOld No. 176, New No 369 Lloyds Road Gopalpuram, Chennai, TamilNadu, 600017
10. प्रमीला पुत्री जांवतराज भंडारी पत्नी धनपतराज जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल 22, Sathe Bidg, 1st Floor, Kakad Wadi, VP Road, Girgaon, Mumbai, Maharashtra, 400004
11. अनीला पुत्री जांवतराज पत्नी अशोक कुमार चौरडीया जाति ओसवाल निवासी सांचौर हाल 45, 4th Cross Gandhi Nagar, K.G. Road, Bangalore North, Karnataka, 560009
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

श्री दोलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नौरतन चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 08/02/2019

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी (भू0रू0) भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 701/1996 मुकेश कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.06.1997 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 11 आपस में रिश्तेदार है एवं एक ही परिवार के सदस्य हैं। समाज के गणमान्य नागरिकों एवं सगे सम्बन्धियों की समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य राजीनामा हो चुका है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट अपील हाजा में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हैं तथा जैर अपील निर्णय को अपास्त कराने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए अपील को जरिये राजीनामा स्वीकार कराने एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, राजीनामा में अंकित इबारत का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह रहा कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि थी। जिसका विधिक विभाजन नहीं होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। विधि अनुसार एक सह खातेदारी भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना गया हैं। इस कारण बिना भूमि विभाजन एवं सह खातेदार की विधिक सहमति के किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सह खातेदार को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जैर अपील विवादित आराजी के भूमि रूपान्तरण का आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जैर अपील विवादित आराजी, जिसके पुराने खसरा नम्बर 623/3 के हाल खसरा नम्बर 2680, 2681 व 2345/3490 बने है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि जैर अपील निर्णय की अभी तक पालना नहीं हुई हैं तथा राजस्व रेकर्ड में जैर अपील निर्णय के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ हैं। अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि भूमि रूपान्तरण के आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1989 पेज 174 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "At the very outset, it may be mentioned that the Larger Bench of the Board in ***Pratap Rai v. State of Rajasthan, 1987 RRD 459*** has over-ruled the decision of the Single Bench of ***Hira Lal v. State*** which has been relied upon by the R.A.A. and has held that appeals under Sections 75 and 76 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 shall lie in matters of land conversion decided under the provisions of Rules, 1981 inspite of provision for revision (which then

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

existed in those Rules). In view of this the first appeal against the impugned order passed by the Authorised Officer under Rules, 1981 lay before the Revenue Appellate Authority under Section 75, Rajasthan Land Revenue Act, 1956. The Revenue Appellate Authority has, therefore, clearly failed to exercise the jurisdiction vested in him and has illegally dismissed the first appeals filed before him.'' इन न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्विवादित तथ्य है कि जैर अपील निर्णय की सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा सक्षम हैं। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है, इस कारण प्रकरण में विवाद का कोई विषय शेष नहीं रहता हैं। विधि की मंशा अनुसार भी राजीनामा के आधार पर प्रकरण के निस्तारण को विधिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम माना गया है, जिससे पक्षकारान् के मध्य विवाद का पूर्णतः निराकरण हो सके। चूंकि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील के तथ्यों को हू–ब–हू स्वीकार किया गया है, इस कारण प्रकरण को जरिये राजीनामा निस्तारित करने में किसी प्रकार की विधिक बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी (भू0रू0) भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 701/1996 मुकेश कुमार बनाम सरकार में जमा राशि को समपहृत करते हुए पारित निर्णय दिनांक 26.06.1997 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली